रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 42] नई दिल्ली, अक्तूबर 22—अक्तूबर 28, 2017, शनिवार/आश्विन 30—कार्तिक 6, 1939

No. 42] NEW DELHI, OCTOBER 22— OCTOBER 28, 2017, SATURDAY/ASVINA 30—KARTIKA 6, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 349.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र सीमा बल (आर्डनेंस सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल (आर्डनेंस सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सशस्त्र सीमा बल (आर्डनेंस सेवा) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

	immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding Fifty Six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
1. Group –'B' Departmental Promotion Committee (for considering romotion) consisting of :- (1) Additional or Joint Development Commissioner (Administration) - Chairman (2) Deputy Director (Handicraft) - Member (3) Under Secretary or equivalent officer as nominated by the Ministry of Textiles, Department of Handicrafts -Member **2. Group –'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:—** (1) Additional or Joint Development Commissioner (Administration) - Chairman (2) Deputy Director (Handicraft) - Member (3) Under Secretary or equivalent officer as nominated by the Ministry of Textiles, Department of Handicrafts -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A- 50011/19/2015-(Admn.)]

ARUN KUMAR YADAV, Director (Handicraft)

Explanatory Memorandum: It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 357.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, कृषि विज्ञानी और फार्म अधीक्षक, समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों में सस्य विज्ञानी और फार्म अधीक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, सस्य विज्ञानी और फार्म अधीक्षक, समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सस्य विज्ञानी	1* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 (67,700-2,08,700 रुपए)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)

प्रोन्नति:- वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 (44,900-1,42,400 रु.) में ऐसे फार्म अधीक्षक जिन्होंने उस स्तर में 7 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा सहित कृषि विज्ञान में बैचलर डिग्री या कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री हो और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि संबंधी समस्याओं और यांत्रिक खेती के क्षेत्र में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उन्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी –

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -10 (56,100-1,77,500 रु.) या समतुल्य वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -8 (47,600-1,51,100 रु.) या समतुल्य वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो ; या

(iv) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -7 (44,900-1,42,400 रु.) या समतुल्य वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 7 वर्ष नियमित सेवा की हो ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो ; अर्थात् :-

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री

(ii) केंद्रीय या राज्य सरकार के विभागों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से कृषि विज्ञानी समस्याओं से संबंधित 3 वर्ष का व्यावहारिक या अनुसंधान अनुभव।

वांछनीय :

यंत्रीकृत खेती में 2 वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अपर सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 4. निदेशक/उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य	पद पर नियुक्ति करते समय प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 फार्म अधीक्षक	2* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनअनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (44,900-1,42,400 रुपए)	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

(11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81,100 रु.) में ऐसे कृषि सहायक जिन्होंने उस स्तर में 15 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्र से कृषि संबंधी समस्याओं और यंत्रीकृत खेती के क्षेत्र में 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी -

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में स्तर -6 (35,400-1,12,400/- रु.) या समतुल्य वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष नियमित सेवा की हो ; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो ;

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्विवद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या परिषदों या अर्ध सरकारी या स्वायत्त या कानूनी संगठनों से कृषि विज्ञानी समस्याओं से संबंधित 2 वर्ष का व्यावहारिक या अनुसंधान अनुभव।

वांछनीय :

यंत्रीकृत खेती में 1 वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. संयुक्त सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग – सदस्य 3. अपर आयुक्त (मशीनीकरण एवं तकनीकी प्रभाग), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग - सदस्य 4. निदेशक, फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 13-1/2016-एम एंड टी (प्रशा.)(भाग-5)]

अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 5th October, 2017

G.S.R. 357.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Farm Machinery Training and Testing Institutes, Agronomist and Farm Superintendent, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Agronomist and Farm Superintendent in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, in the Farm Machinery Training and Testing Institutes, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Farm Machinery Training and Testing Institutes, Agronomist and Farm Superintendent, Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.**—No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Agronomist	01* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700)	Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment :** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation (including short -term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(11)
Promotion: Farm Superintendent in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with seven years regular service in the level and possessing Master's degree in Agriculture or Bachelor's degree in Agriculture with post graduate degree or diploma in Agronomy from a recognised University or Institute and have successfully completed four weeks of training in the field of agronomical problems and mechanised farming from Indian Council for Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendra. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short- term contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or Recognised Research Institutions or Councils or Semi-Government or autonomous or statutory organisations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with seven years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :- **Essential:** (i) Master's degree in Agronomy from a recognised University or Institute; (ii) three year's practical or research experience in agronomical problems from Central or State Government departments or Union territory administrations or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or Councils or semi-Government or autonomous or statutory organisations. **Desirable :** Two years' experience in mechanised farming. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall be not eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Chairman/ Member, Union Public Service Commission : Chairman	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

(2)	Additional Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	: Member	
(3)	Joint Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	: Member	
(4)	Director/Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	: Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Farm Superintendent	2* (2017) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion failing which by deputation (including short term contract)

(11)

Promotion:

Agricultural Assistant in level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix with fifteen years regular service in the level and have successfully completed four weeks of training in agronomical problems and mechanised farming from Indian Council for Agricultural Research or State Agricultural Universities or Krishi Vigyan Kendra.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short- term contract):

Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or semi-Government or autonomous or statutory organisations:-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

(i) Master's degree in Agronomy from a recognised University or Institute;

(ii) two years practical or research experience in agronomical problems in Central Government or State Government departments or Union territory administrations or Public Sector Undertakings or Agricultural Universities or recognised research institutions or Councils or semi-Government or autonomous or statutory organizations.

Desirable:

One year experience in mechanised farming.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall be not eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily, not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Joint Secretary, (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Chairman (2) Director or Deputy Secretary (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member (3) Additional Commissioner (Mechanisation and Technology Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare - Member (4) Director, Farm Machinery Training and Testing Institute - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 13-1/2016-M&T (Admn.) (Pt. V)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 358.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 पद) भर्ती नियम, 1964 को, जहां तक इनका संबंध ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा-सह भंडार अधिकारी और प्रशासनिक-सह-क्रय और विक्रय अधिकारी के पदों से है, को अधिक्रान्त करते हुए तथा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा-सह-भंडार अधिकारी, प्रशासनिक-सह-क्रय और विक्रय अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा-सह-भंडार अधिकारी, प्रशासनिक–सह-क्रय और विक्रय अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुप्रयोग.**—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।